भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 183*

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन पंजीकृत मामले

***183. श्री के० टी० एस० तुलसी :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान देश में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस), 1985 के अधीन पंजीकृत मामलों की कुल संख्या और उनमें से पंजाब में पंजीकृत मामलों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और उनके सेवन की समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा पंजाब सरकार की सहायता हेतु, यदि कोई कदम उठाए गये हैं, तो वे क्या-क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में गृह मंत्री **(श्री राजनाथ सिंह)**

(क) और (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

<u>दिनांक 3.8.2016 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 183 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत वर्ष 2014 में 23709 तथा वर्ष 2015 में 27231 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से, पंजाब में वर्ष 2014 और 2015 में क्रमश: 9159 और 10233 मामले दर्ज किए गए थे।

(ख) : मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की लत का मुकाबला करने के लिए पंजाब राज्य सरकार की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की तैनाती, सीमा पर बाड़ लगाकर भारत-पाकिस्तान सीमा को सुदृढ़ करना, तेज रोशनी की व्यवस्था, अमृतसर और चंडीगढ़ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की उपस्थिति सुदृढ़ करना, मादक पदार्थों को पकड़ने के बारे में पंजाब पुलिस को प्रशिक्षण प्रदान करना, चौकसी, प्रयोगशाला और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत पकड़ने के लिए सीमा सुरक्षा बल को शक्तियां प्रदान करना, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क जैसी केन्द्र की विभिन्न मादक पदार्थ संबंधी विधि प्रवर्तन एजेंसियों और पुलिस एवं राज्य उत्पाद शुल्क जैसी राज्य की एजेंसियों के साथ सहयोग और आसूचना का आदान-प्रदान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा राज्य

.....3/-

पुलिस सहित सभी मादक पदार्थ संबंधी विधि प्रवर्तन एजेंसियों को मादक पदार्थ की पहचान संबंधी किट की आपूर्ति तथा केन्द्र और पंजाब राज्य की मादक पदार्थ संबंधी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय बैठकें शामिल हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो अफीम मिश्रित दवाओं और अन्य औषधियों के दुरूपयोग के बारे में जेलों, एड्स नियंत्रण तथा औषधि नियंत्रक एवं लाइसेंस प्रदाता प्राधिकरणों जैसी विभिन्न एजेंसियों को जानकारी भी देता रहता है। इसके अतिरिक्त, स्वापक/मादक पदार्थों की मांग पर अंकुश लगाने के लिए मादक पदार्थों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं और नशेड़ियों के उपचार के लिए नशा मुक्ति और पुनर्वास केन्द्र भी खोले गए हैं।

*****